



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-05032021-225678
CG-DL-E-05032021-225678

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 956]
No. 956]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 4, 2021/फाल्गुन 13, 1942
NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 4, 2021/PHALGUNA 13, 1942

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय
अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 मार्च, 2021

का.आ. 1044(अ).— पूर्व की अनुसूची जो सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार के कार्यालय आदेश सं. एसओ 4346 (अ) दिनांक 3 दिसम्बर 2020, द्वारा प्रकाशित अधिसूचना में पृष्ठ संख्या 2 और पृष्ठ संख्या 4 के वैशाली और समस्तीपुर जिला के स्तंभ 3 में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH122A प्रकाशित को राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH122B पढ़ा जाय |

पूर्व की अनुसूची जो सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार के कार्यालय आदेश सं. एसओ 4346 (अ) दिनांक 3 दिसम्बर 2020, द्वारा प्रकाशित अधिसूचना में पृष्ठ संख्या 2 और पृष्ठ संख्या 4 के वैशाली और समस्तीपुर जिला के स्तंभ 3 में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH122A प्रकाशित को राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH122B पढ़ा जाय |

[फा. सं. RW/PAT/NH 122B/EPC/2020 /Corr.]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 4th March, 2021

S.O. 1044(E).— For District Vaishali & Samastipur at page 2 & Page 4 of Column 3 in hindi Gazette notification, for word NH 122A, read as NH 122B.

For District Vaishali & Samastipur at page 2 & Page 4 of Column 3 in hindi Gazette notification, for word NH 122A, read as NH 122B.

[F. No. RW/PAT/NH 122B/EPC/2020 /Corr]
RAJESH GUPTA, Director